

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या:- 05/17

दिनांक:-02.08.2019

तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

ताज मोहम्मद पुत्र श्री हाजी मोती खान जाति चौबदार निवासी रामगढ़ शेखावाटी।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—


तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 28.03.2017 को कस्बा रामगढ़ शेखावाटी तहसील रामगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म बारानी में अप्रार्थी ताज मोहम्मद पुत्र श्री हाजी मोती खान खातेदार कृषक है। अप्रार्थी समस्त कृषि भूमि पर डामरीकरण सड़क बनाकर प्लाटिंग कर रहा है। बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है कि वह कृषि भूमि की किस्म बदले व भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नहीं होते हुए भी अकृषि भूमि में तब्दील करें।

अप्रार्थी ने उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है।

तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर, अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे व भूमि सिवायचक घोषित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।


बहस तहसीलदार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जमाबंदी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म बारानी पर मौके डामरीकरण सड़क बनाकर प्लाटिंग कर रखी है।


(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खातेदार द्वारा भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से कानून के खिलाफ कर लिया है। तहसीलदार ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व आराजी को सिवायचक दर्ज करने की अपील की। उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 से होती है। अतः विवादित आराजी का कृषि के स्थान पर गैर कृषि उपयोग होना साबित है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर कस्बा रामगढ़ शेखावाटी की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जाकर कब्जेराज लिया जावे एवं उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(निधि सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर